म०प्र० राज्यकृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, "किसान भवन", भोपाल

क्र/बोर्ड/नि./प्रो.से./निर्देश/2023-24/ 2219 भोपाल, दिनांक 21/8/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग (समस्त)

विषय :- **वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत बोर्ड निधि / किसान सड़क निधि अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु भेजे जाने वाले देयकों के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 495 दिनांक 14.07.2015 |

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्माण कार्यों के देयक भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रेषित किये जातेहैं, प्राप्त देयको में प्रायः देखा जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाते हैं,जबकि इस सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में भी सूचित किया गया है। अतः मुख्यालय को प्रेषित देयकों में निम्नानुसार निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. यदि किसी टेंडर पैकेज में एक से अधिक कार्य हैं तथा उन कार्यों की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति पृथक-पृथक कार्यवार ज़ारी की गयी है, तो ऐसी स्थिति में पृथक-पृथक कार्यवार माप-पुस्तिकाएं / देयक पुस्तिकाएं तैयार की जाकर एक मास्टर देयक पुस्तिका तैयार की जावेगी जिसमें उक्त टेंडर पैकेज के समस्त कार्यों की कार्यवार राशि का विवरण दर्ज किया जावेगा।
2. मुख्यालय को प्रस्तुत देयक भुगतान से पहले स्वीकृत के सापेक्ष आयटम की मात्रा में हुई वृद्धि तथा डी.पी.आर. में आयटम होने/नहीं होने पर एस.ओ.आर के आयटम पर कराये गए कार्यों की स्वीकृति ली जावेगी।
3. मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ले-आउट दिनांक, कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक आदि का विवरण भी देयक के साथ प्रस्तुत करें (प्रथम देयक के समय)।
4. फर्म / ठेकेदार द्वारा मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (छायाप्रति सहित प्रथम देयक के समय)।
5. निर्माण स्थल पर मटेरियल इंजिनियर को पदस्थ करने संबंधी प्रमाण पत्र (अंकसूची की छायाप्रति सहित प्रथम चल देयक के साथ)।
6. निर्माण स्थल पर असिस्टेंट / लैब टेक्नीशियन को पदस्थ करने संबंधी प्रमाण पत्र (प्रथम चल देयक के साथ)।
7. निर्माण स्थल पर कांट्रेक्टर की ओर से साईट इंजीनियर को पदस्थ करने संबंधी प्रमाण पत्र (अंकसूची की छायाप्रति सहित प्रथम चल देयक के साथ)।
8. निर्माण स्थल पर विद्युत् / पानी की व्यवस्था संबंधी प्रमाण पत्र (प्रत्येक देयक के साथ)।
9. निर्माण कार्य की टेस्ट रिपोर्ट एवं फ्रीक्वेंसी चार्ट (प्रत्येक देयक के साथ)।
10. निर्माण स्थल पर ठेकेदार द्वारा लेबर के रहने व अन्य आवश्यक व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र (प्रथम एवं अंतिम देयक के साथ)।

office data/general latter.doc

निर्देश-02

11. निर्माण स्थल पर लेबर को संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा मजदूरी का निरंतर भुगतान किया जा रहा है (संबंधी प्रमाण-पत्र प्रत्येक चल देयक के साथ)।
12. स्वीकृत आयटमों के सापेक्ष स्थल की आवश्यकता के आधार पर कराये गए कार्यों का निर्धारित प्रारूप में डेविएशन पत्रक तैयार कर देयक के साथ प्रस्तुत करें (प्रत्येक चल देयक के साथ)।
13. निर्माण स्थल पर कराये जा रहे कार्य के ए-4 आकार में रंगीन छायाचित्र (प्रत्येक चल देयक के साथ)।
14. देयकों के साथ संबंधित फर्म/ठेकेदार को जी.एस.टी. के रूप में भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/ठेकेदार के द्वारा जी.एस.टी. विभाग में जमा कर दी गई है, बाबत् चालान की छायाप्रति।
15. देयक के साथ प्रस्तुत की जा रही माप-पुस्तिका में प्रविष्ट की गई मापों के प्रत्येक आयटम के उपरांत उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं। उक्त कमी को दूर करना सुनिश्चित किया जाए।
16. वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत जारी की गई तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति पत्रों में वर्णित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मुख्यालय को प्रेषित करें ताकि समयावधि में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न - आवश्यक प्रपत्र

21/8

अधीक्षण यंत्री
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नि./प्रो.से./निर्देश/2023-24/2220 भोपाल, दिनांक 21/8/2023

प्रतिलिपि - की ओर सूचनार्थ

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक (वित्त), म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

21/8

अधीक्षण यंत्री
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल